रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012025-260618
CG-DL-E-31012025-260618

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81]	नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2025/माघ 9, 1946
No. 81]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2025/MAGHA 9, 1946

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2025

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2024-25/जी.एन./आर.ई.जी.120.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “मूल विनियम” कहा गया है) के विनियम 33 का लोप किया जाएगा।

3. मूल विनियमों के विनियम 39 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) बोर्ड किसी अनुसूचित बैंक के पास एक खाता रखेगा और उसका प्रचालन करेगा जिसे कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाता कहा जाएगा ।"

4. मूल विनियम में, विनियम 41 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**41क. प्ररूपों का फाइल किया जाना**

(1) परिसमापक, नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक प्ररूप के सामने अनुबंधित समय-सीमा के अनुसार, प्ररूपों के संलग्नकों सहित, बोर्ड के किसी इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर प्ररूप फाइल करेगा:—

सारणी

प्ररूप सं.	**समयावधि और परिधि**	**समय-सीमा**
(1)	(2)	(3)
वी.एल.1	इसके अंतर्गत कारपोरेट व्यक्ति के ब्यौरे, स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के ब्यौरे आदि आते हैं ।	लोक उद्घोषणा के पश्चात् दूसरे मास के 10वें दिन या उससे पूर्व ।
वी.एल.2	प्रक्रिया में हुए विलंब के कारणों सहित अंशदायियों की बैठकों के ब्यौरे, परिसमापक के प्रतिस्थापन के ब्यौरे(यदि कोई हैं), आदि ।	अंशदायियों की बैठक या परिसमापक के प्रतिस्थापन के पश्चात्, आगामी मास के 10वें दिन या उससे पूर्व ।
वी.एल.3	विघटन आवेदन के ब्यौरे, अदावाकृत आगमों के ब्यौरे, हितधारकों से की गई वसूली और उन्हें किए गए वितरण के ब्यौरे, लंबित मुकदमेबाज़ी, कपट या दिवालिया होने का पता लगने(यदि कोई हैं) के ब्यौरे	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को कारपोरेट व्यक्ति का विघटन आवेदन या स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के लिए प्रत्याहरण/ निलंबन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, आगामी मास के 10वें दिन या उससे पूर्व ।
वी.एल.4	विघटन के आदेश के ब्यौरे: इसके अंतर्गत आगमों, प्राप्तियों और संदायों के वितरण के ब्यौरे, आदि आते हैं ।	कारपोरेट व्यक्ति के विघटन के लिए या स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के प्रत्याहरण/निलंबन के लिए आदेश पारित किए जाने के 14वें दिन या उससे पूर्व ।

(2) परिसमापक यह सुनिश्चित करेगा कि इस विनियम के अधीन फाइल किए गए प्ररूप और उनके संलग्नक सही और पूर्ण हैं ।

(3) इस विनियम के अधीन, किसी प्ररूप को, चाहे सुधार, अद्यतन करने या अन्यथा, प्रस्तुत किए जाने की नियत तारीख के पश्चात् फाइल करने पर, बोर्ड द्वारा यथा-अधिसूचित तारीख के पश्चात्, विलंब के प्रत्येक कलैंडर मास के लिए प्रति प्ररूप पांच सौ रुपए की फीस संलग्न की जाएगी ।

(4) परिसमापक, ऐसी किसी कार्रवाई के लिए दायी होगा जो बोर्ड संहिता या उसके अधीन बनाए गए किसी विनियम के अधीन उचित समझे, कर सकेगा जिसके अंतर्गत –

(i) अपेक्षित जानकारी और अभिलेख सहित प्ररूप फाइल करने में असफल रहने,

(ii) किसी प्ररूप में या उसके साथ फाइल की गई गलत या अपूर्ण जानकारी या अभिलेख,

(iii) प्ररूप फाइल करने में विलंब,

के कारण असाइनमेंट के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करने या उसका नवीकरण करने से इनकार करना भी है ।"

5. मूल विनियमों की अनुसूची I के प्ररूप छ में, सारणी ख के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

"ख. उन हितधारकों के ब्यौरे, जो अदावाकृत लाभांशों या अवितरित आगमों के लिए हकदार हैं

क्र. सं.	अदावाकृत लाभांशों या अवितरित आगमों को प्राप्त करने के हकदार हितधारक का नाम	हितधारक का पता, फोन नंबर और ईमेल पता	हितधारक का पहचान संख्यांक (पैन,सी.आई.एन., आदि) (कृपया पहचान सबूत संलग्न करें)	हितधारक को देय रकम (रूपयों में)	देय रकम का प्रकृति	आयकर अधिनियम या किसी अन्य विधि की लागू धारा, जिसके अधीन कर की कटौती का जानी है	काटे जाने वाले कर की रकम	अदावाकृत लाभांशों या अवितरित आगमों के लिए कारण	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./938/2024-25]

टिप्पण:—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 130, तारीख 31 मार्च, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.010, तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 73, तारीख 31 जनवरी, 2024 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2023-24/जी.एन./आर.ई.जी.109, तारीख 31 जनवरी, 2024 प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2025

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2025.

F. No. IBBI/2024-25/GN/REG120.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017, namely: -

1.(1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), regulation 33 shall be omitted.

3. In the principal regulations, in regulation 39, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) The Board shall maintain and operate an account to be called the Corporate Voluntary Liquidation Account with a scheduled bank."

4. In the principal regulations, after regulation 41, the following regulation shall be inserted, namely: -

"**41A. Filing of Forms.**

(1) The liquidator shall file the Forms, along with the enclosures thereto, on an electronic platform of the Board, as per the timelines stipulated against each Form, in the table below: -

TABLE

Form No.	Period Covered and Scope	Timeline
VL 1	This includes details of the corporate person, details of the voluntary liquidation process, etc.	On or before the 10th day of the second month after the public announcement.
VL 2	Details of the meetings of contributories with the reasons for delay in the process, details of replacement of liquidator (if any), etc.	On or before the 10th day of the subsequent month, after the meeting of contributories or replacement of liquidator.
VL 3	Details of dissolution application, details of unclaimed proceeds, details of realisation and distribution made to stakeholders, details of pending litigations, detection of fraud or insolvency (if any), etc.	On or before the 10th day of the subsequent month, after submission of the dissolution application of the corporate person or withdrawal/suspension application for the voluntary liquidation process, to the Adjudicating Authority.
VL 4	Details of order for dissolution: This includes details of the distribution of proceeds, receipts and payments, etc.	On or before the 14th day of passing of the order for dissolution of the corporate person, or withdrawal / suspension of the voluntary liquidation process.

(2) The liquidator shall ensure that the Forms and its enclosures filed under this regulation are accurate and complete.

(3) The filing of a Form under this regulation after the due date of submission, whether by correction, updation or otherwise, shall be accompanied by a fee of five hundred rupees per Form for each calendar month of delay after the date notified by the Board.

(4) The liquidator shall be liable to any action which the Board may take as deemed fit under the Code or any regulation made thereunder, including refusal to issue or renew Authorisation for Assignment, for -

(i) failure to file a Form along with requisite information and records;

(ii) inaccurate or incomplete information or records filed in or along with a Form;

(iii) delay in filing the Form."

5. In the principal regulations, in Schedule I, in Form G, for table B, the following table shall be substituted, namely:-

"**B. Details of Stakeholders entitled to Unclaimed Dividends or Undistributed Proceeds**

Sl. No.	**Name of stakeholder entitled to receive unclaimed dividends or undistributed proceeds**	**Address, phone number and email address of the stakeholder**	**Identification Number of the stakeholder (PAN, CIN, etc.) (Please attach Identification proof.)**	**Amount due to the stakeholder (Rs.)**	**Nature of Amount due**	**Applicable section of the Income Tax Act, 1961 or any other law under which tax is to be deducted**	**Amount of tax to be deducted (Rs.)**	**Reason for unclaimed dividends or undistributed proceeds**	**Remarks**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./938/2024-25]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017 were published vide Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG010 on 31st March, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 130 dated 31st March, 2017 and were last amended by Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2024 *vide* notification No. IBBI/2023-24/GN/REG109 dated the 31st January , 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* No. 73 on 31st January, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.01.31 09:54:37 +05'30'